






<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज</p>
	<p>वार्ड्ट हेतु रजि. एजी. फिनाल 24.12.2021 की पेश ही।</p> <p style="text-align: right;">             सहायक कलेक्टर एवं            उपस्थान अधिकारी, बावडी         </p>
<p>24/2/2022</p>	<p>पत्रावली पेश की जाय पीठारीय अधिकारी कार्य रस्कार धनन आवकाश पर है। पत्रावली इत्यादि होकर विवाद 19/4/2022 को पेश हो। </p>
<p>19/4/2022</p>	<p>पत्रावली पेश की जाय पीठारीय अधिकारी कार्य रस्कार धनन आवकाश पर है। पत्रावली इत्यादि होकर विवाद 20/5/2022 को पेश हो। </p>
<p>20/5/2022</p>	<p>पत्रावली पेश की जाय पीठारीय अधिकारी कार्य रस्कार धनन आवकाश पर है। पत्रावली इत्यादि होकर विवाद 25/05/2022 को पेश हो। </p>
<p>25/05/2022</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने मूल वाद में एक पार्थना- पत्र प्रस्तुत कर निर्वहन किया। कि उक्त वाद पत्र में वादीगण एवं वर्तमान श्रीदार कानाराम पुत्र पैमाराम जाति - जाट, निवासी गंगाणी वार्ड के मुख्य लालू सादलत की भावना से शरीनामा ही चुका है। वादी अधिकृत अपना वाद जरिये विधि खारिज कर भावे हेतु निर्वहन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादी का पार्थना - पत्र स्वीकार किया गया वकील वादी द्वारा वाद का मार्ग जारी नहीं रखने से वाद का जरिये विधि खारिज किया जाता है। पत्रावली शुभाह्न होकर नम्बर से कम दायरे दफतर ही।</p> <p style="text-align: right;">             सहायक कलेक्टर एवं            उपस्थान अधिकारी, बावडी         </p>